अनुबंध - I

आवेदन पपत्र

आवेदन श्रेणी	
पूरा नाम	
जन्मतिथि	
पिता का नाम	
माता का नाम	
आधार संख्या	
स्थाई पता	
पत्र व्यवहार के लिए वैकल्पिक पता	
दूरभाष संख्या	
मोबाइल संख्या	
संपर्क करने के लिए वैकल्पिक संख्या	
ई-मेल एड्रेस*	
वैकल्पिक ई-मेल एड्रेस	
योग्यता	
प्रोफेशनल अनुभव/क्षमता का बयौरा	

******

फा.सं.9/12/2023-पीएमएस

भारत सरकार

पत्र सूचना कार्यालय

प्रेस मीडिया अनुभाग

****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय: पत्र सूचना कार्यालय के लिए अंशकालिक आधार पर कनिष्ठ/वरिष्ठ, ऑनलाइन अनुवादकों, टंककों, प्रतिलेखकों, विशेषज्ञों/भाषा विशेषज्ञों आदि को पैनल में शामिल करने से संबंधित दिशा-निर्देश

पत्र सूचना कार्यालय में अंग्रेजी से हिंदी/उर्दू/क्षेत्रीय भाषाओं में और हिंदी/उर्दू/क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद से संबंधित कार्य किया जाता है। मुख्यालय और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में संबंधित कार्य जैसे टंकण, प्रतिलेखन आदि कार्य किए भी जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधानमंत्री से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों जैसे प्रधानमंत्री वेब एप्लिकेशन, सोशल मीडिया फीड, ब्लॉग, लेख, फोटो कैप्शन, बुकलेट, पैम्फलेट, डीएवीपी विज्ञापन इत्यादि के लिए भी कार्य सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य बड़ी मात्रा में किए जाते हैं और इन्हें अनिवार्य रूप से समयबद्ध तरीके और कभी-कभी तत्काल आधार पर किया जाता है। इन सभी सेवाओं में कार्य गुणवत्ता सर्वोपरि है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं।

2. ये नए दिशानिर्देश उसके बाद जारी किए गए सभी पिछले दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों का अधिक्रमण करेंगें।

3. संविदा की शर्ते

(क) ये दिशानिर्देश हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद संबंधी कार्य के लिए अंशकालिक कर्मियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगें:-

क्रं.सं.	श्रेणियां
01	**पर्यवेक्षण ड्यूटी के लिए परामर्शदाता**
02	**अंशकालिक सहायक संपादक/कनिष्ठ अनुवादक**
03	**अंशकालिक संपादक/वरिष्ठ अनुवादक**
04	**ऑनलाइन अनुवादक**
05	**आशुलिपिक/टंकक**
06	**प्रतिलेखक** (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण पाठ का प्रतिलेखन)
07	**मासिक आधार पर वरिष्ठ विशेषज्ञ/भाषा विशेषज्ञ**

(ख) सामान्य न्यूनतम योग्यता/पात्रता मानदंड:

I. आवेदक/अंशकालिक कर्मी भारतीय नागरिक होना चाहिए। 01 जनवरी, 2023 को उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

II. अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, विशेष मामलों में आयु सीमा को 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है।

III. अंशकालिक कर्मियों के पास नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार निर्धारित योग्यता होनी चाहिए:

क्र.सं.	श्रेणी	पात्रता मानदंड
01.	**पर्यवेक्षण ड्यूटी के लिए परामर्शदाता**	सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी (सेवानिवृत्ति के समय सीनियर ग्रेड/ग्रुप बी से कम नहीं) **या** वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो **या** भाषा विशेषज्ञ, जिन्हें हिन्दी एवं संबंधित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में अनुवाद व अन्य कार्यों का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो **शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम स्नातक स्तर**
02.	**अंशकालिक सहायक संपादक/कनिष्ठ अनुवादक** (अंग्रेजी से हिंदी, उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद)	वरिष्ठ पत्रकार **अथवा** संबंधित भाषा में टंकण योग्यता के बिना भाषा विशेषज्ञ, जो अंग्रेजी तथा हिन्दी/उर्दू/संबंधित क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हों चयन 5 वर्ष तक या 10 वर्ष से कम के प्रासंगिक कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें प्रेस विज्ञप्तियों/समाचार बुलेटिन के अनुवाद का अनुभव हो **शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम स्नातक स्तर**

3.	**अंशकालिक संपादक/वरिष्ठ अनुवादक** (अंग्रेजी से हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद)	सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी **अथवा** वरिष्ठ पत्रकार अथवा हिंदी/उर्दू/संबंधित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में दक्ष भाषा विशेषज्ञ। चयन 10 वर्ष और उससे अधिक के प्रासंगिक कार्य अनुभव के आधार पर होगा **शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम स्नातक स्तर**
4.	**ऑनलाइन अनुवादक**	न्यूनतमअवर सचिव स्तर के सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी **अथवा** कनिष्ठ/वरिष्ठ पत्रकार **अथवा** भाषा विशेषज्ञ जो हिन्दी/संबन्धित क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी में पर्याप्त दक्षता प्राप्त हो टंकक योग्यता के साथ चयन 5 वर्ष और उससे अधिक के कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा प्रेस विज्ञप्ति/समाचार बुलेटिनों के अनुवाद/संपादन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी **शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम स्नातक स्तर**
5.	**आशुलिपिक /टंकक**	अनुभवी आशुलिपिक /टंकक/टाइप सेटिंग कार्मिक जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि में संबंधित भाषा लिपि का ज्ञान हो। संबंधित भाषा का अच्छा ज्ञान हो और संबंधित भाषा में अच्छी टंकण दक्षता हो। अंग्रेजी और हिंदी के लिए सटीकता के साथ टाइपिंग

		की गति कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट और क्षेत्रीय भाषा के लिए 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। **शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम उच्च माध्यमिक / डिप्लोमा स्तर**
6.	**प्रतिलेखन** (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में आशुभाषण का प्रतिलेखन)	अनुभवी आशुलिपिक / टंकक / टाइप सेटिंग कार्मिक जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि में संबंधित भाषा लिपि आदि का ज्ञान हो । भाषणों का ऑडियो सुनकर सटीकता से टाइप करने में दक्षता हो। टाइपिंग की गति सटीकता से कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट हो। **शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम उच्च माध्यमिक / डिप्लोमा स्तर**
7.	**मासिक आधार पर वरिष्ठ विशेषज्ञ / भाषा विशेषज्ञ**	सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार में कम से कम अवर सचिव के पद पर रहे हो। **अथवा** वरिष्ठ पत्रकार (संवाददाता/संपादक) **अथवा** भाषा विशेषज्ञ जो हिंदी/संबंधित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में दक्षता रखते हों। संबन्धित कार्य में 15 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव हों जिन्हें अनुवाद, प्रतिलेखन, टंकण , रिपोर्ट तैयार करना आदि के संदर्भ में विभिन्न संपादकीय जिम्मेदारी का पूर्व अनुभव हों।

		नोट: कार्यों में प्रधान मंत्री के भाषणों के अनुवाद की जांच, प्रधान मंत्री की वेबसाइट से संबंधित कार्य, क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में आरएनआई / डीएवीपी कार्य और मुख्यालय में कार्यात्मक इकाई प्रमुख और क्षेत्रीय एवं शाका कार्यालयों में इस प्रकार के कार्यकलापों के लिए प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य/टास्क शामिल होंगे। **शैक्षणिक योग्यता - न्यूनतम स्नातक स्तर**

(ग) अंशकालिक कार्मिकों की श्रेणीवार मानदेय दरें

क्र.सं.	श्रेणी	मानदेय दर
01.	**पर्यवेक्षण ड्यूटी के लिए परामर्शदाता**	रु. 3000/- प्रति शिफ्ट
02.	**अंशकालिक सहायक संपादक/कनिष्ठ अनुवादक**	रु. 1800/- प्रति शिफ्ट
03.	**अंशकालिक संपादक/वरिष्ठ अनुवादक**	रु. 2000 /- प्रति शिफ्ट
04.	**ऑनलाइन अनुवादक**	रु. 1.25/- प्रति शब्द
05.	**आशुलिपिक/टंकक**	रु. 1100/- प्रति शिफ्ट
06	**प्रतिलेखक** (अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए आशुभाषण से पाठ प्रतिलेखन)	मानदेय की दर 75 पैसे प्रति शब्द अथवा रु. 1800/- प्रति शिफ्ट जो भी कम हो (एक शिफ्ट में 3000 शब्द के प्रतिलेखन की अपेक्षा की जाती है)
07.	**वरिष्ठ विशेषज्ञ/भाषा विशेषज्ञ मासिक आधार पर**	(रु. 50,000/- प्रतिमाह)

(घ) पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया:

i. आवेदन करने की प्रक्रिया

(क) अभ्यर्थी अनुबंध-I में निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार आवेदन उपर्युक्त करके पैनल के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसे दिनांक 28.03.2024 तक **केवल ऑनलाइन माध्यम से** pib.application@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(ख) इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया

(क) सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारी जिन्होंने पीआईबी या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अन्य किसी मीडिया इकाई में कार्य किया हो और जिनके पास पीआईबी के अनुवाद और संबंधित कार्यों से संबंधित अनुभव हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी मुख्यालय स्तर पर प्रधान महानिदेशक और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय प्रमुख के अनुमोदन से प्रत्यक्ष रूप से नई पैनलबद्ध सूची में रखा जा सकता है।

(ख) ऐसे अंशकालिक कर्मी जो वर्तमान में कम से कम दो वर्षों से पीआईबी मुख्यालय और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय के विभिन्न पैनलों पर कार्यरत हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ नई पैनलबद्ध सूची में रखा जा सकता है। मुख्यालय में कार्यात्मक इकाई प्रमुख और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में ऐसे सभी अनुवाद और संबंधित कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी उन नियुक्तियों को संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र देंगे जिन्हें नई सूचीबद्ध सूची में रखा जाना है।

मुख्यालय में सक्षम प्राधिकारी प्रधान महानिदेशक हैं और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख हैं।

(ग) कम से कम 03 वर्षों से समान कार्यों के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रसार भारती के पैनल पर पहले से मौजूद अंशकालिक कर्मियों को मुख्यालय और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालय में कार्यात्मक इकाइयों द्वारा तैयार किए जा रहे नए पैनल में शामिल किया जा सकता है। गुणवत्ता की आवश्यकता के लिए इन अंशकालिकों का उचित परीक्षण किया जाना कार्यात्मक इकाई प्रमुखों/क्षेत्रीय प्रमुखों के विवेक पर निर्भर होगा। परीक्षणों के लिए मापदंड नए सदस्यों के पैनल में शामिल होने के समान ही होंगे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

(घ) कार्यात्मक इकाई प्रमुख/क्षेत्रीय प्रमुख नए सदस्यों को उचित व्यावसायिक योग्यता/दक्षता परीक्षणों के अधीन पैनल में रख सकते हैं। ऐसे अंशकालिक कर्मी जो पहले पीआईबी में कार्य कर रहे थे और जो संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहे थे, वे भी नए पैनल में शामिल होने के लिए दक्षता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षण का प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। परीक्षणों का मूल्यांकन संबंधित कार्यों के पेशेवरों या विशेषज्ञों या सेवानिवृत्त आईआईएस अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास संबंधित कार्यों में पूर्व अनुभव है। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल किया जाएगा, जो परीक्षण के बाद पेशेवर योग्यता और दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ङ) उन मामलों में संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अनुवाद, टाइपिंग, श्रुतलेख, प्रतिलेखन आदि परीक्षण किए जाएंगे जिनमें अंशकालिक कार्मिकों को पहले उल्लखित अनुसार पैनल में स्वत: ही नहीं रखा गया है। टेस्ट पेपर आदि तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और मूल्यांकन परीक्षा

और मूल्यांकन की निगरानी के लिए गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें आंतरिक और बाहरी परीक्षक शामिल होंगे।

(ड.) सामान्य शर्तें:

(i) प्रत्येक अंशकालिक कर्मी को दिया गया कार्य पूरी तरह से दैनिक संविदात्मक प्रकृति का होगा और अंशकालिक कार्मिक नियमित रोजगार के दावे का हकदार नहीं होगा।

(ii) इस दिशानिर्देश की अवधि 2 वर्ष की होगी और दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 से अगले एक वर्ष (2+1) तक के लिए बढ़ाई जाएगी।

(iii) प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर या समय-समय पर इकाई प्रमुखों द्वारा क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक इकाइयों की मांग अनुमानित की जाएगी ।

(iv) मांग पेशेवर आवश्यकताओं के अनुसार मुख्यालय स्थित कार्यात्मक इकाइयों और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों द्वारा तय की जाएगी।

(v) किसी भी अंशकालीन कार्मिक को प्रति माह 15 दिन से अधिक का कार्य नहीं दिया जाएगा।

(vi) अंशकालीन कार्मिक निष्पादन के शर्त के अनुसार घंटों की प्रति शिफ्ट के संबंध में शर्तों के अधीन होगा । शिफ्ट लगभग न्यूनतम 8 घंटे की अवधि की होगी जिसमें प्रति शिफ्ट में प्रति अंशकालीन कार्मिक के लिए अनुवाद के 1800 शब्द, टंकण आदि होंगे । यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और दर्ज की गई क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता के आधार पर उचित सीमा तक भिन्न हो सकता है जैसा कि ऊपर वर्णित है ।

(vii) ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्य करने वाले अंशकालीन कर्मी को प्रति-शब्द के आधार पर भुगतान किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी को आवंटित ऑनलाइन कार्य का विवरण भी रिकार्ड में रखना होगा।

(viii) अंशकालीन कर्मी की तैनाती मुख्यालय में कार्यात्मक इकाई प्रमुखों और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाएगी और एक रजिस्टर में तैनाती, किए गए कार्य की मात्रा और उपस्थिति को दर्ज किया जाएगा।

(ix) अंशकालीन कर्मी को आवंटित कार्यों की संख्या पूरी तरह से उनके प्रदर्शन और आचरण पर आधारित होगा। अच्छे प्रदर्शन और बेहतर उपस्थिति रिकॉर्ड वाले अंशकालीन कर्मी को ड्यूटी में प्राथमिकता दी जाएगी।

(च) अंशकालीन कर्मियों को पैनल से हटाया जाना:

कारण बताओ या चेतावनी नोटिस जारी करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैनल से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कदाचार, असंतोषजनक प्रदर्शन, अथवा दिशानिर्देशों में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन और निम्नलिखित शर्तों का पालन करने में विफल होने की स्थिति में मुख्यालय में कार्यात्मक इकाई प्रमुखों और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर किसी भी अंशकालीन कार्मिक को अनुवाद संबंधी कार्य से हटाया जा सकता है :

(i) अंशकालीन कार्मिक मुख्यालय में कार्यात्मक इकाई प्रमुखों और क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में प्रभारी अधिकारी द्वारा तैयार किए गए ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(ii) पीआईबी में काम करने की अवधि के दौरान अंशकालीन कार्मिक आधिकारिक दायरे से बाहर किसी के साथ अपनी जानकारी में आने वाली किसी भी सूचना का उपयोग/साझा नहीं करेगा।

(iii) अंशकालीन कार्मिक को पीआईबी की छवि धूमिल हो सकने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचना चाहिए।

(iv) पीआईबी के नाम/लोगो का उपयोग अंशकालीन कार्मिक के विजिटिंग कार्ड और अन्य संचार सामग्रियों पर नहीं किया जाएगा।

(v) इन दिशानिर्देशों की संपूर्ण अवधि के दौरान दो गलतियाँ करने पर अंशकालीक कार्मिक दंड के भागी होंगे। दूसरी गलती के पश्चात उन्हें हटाया जा सकता है।

(vi) अंशकालीक कार्मिकों द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के लिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ट्रांसलेशन एप्लिकेशन जैसे गूगल ट्रांसलेटर, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर आदि का उपयोग सख्त वर्जित है। ऐसे एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी अंशकालिक कार्मिक को हटा दिया जाएगा।

(छ) विविध मामलों में प्राधिकार

दिशानिर्देशों में शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के लिए ऐसे मामलों/मुद्दों/मामलों पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी होंगे।

******